

ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के बिन्दु जिनपर आपत्तियों एवं सुझाव अपेक्षित हैं:-

1. ऐसे जनपदों जहाँ स्थापित राजकीय पालीटेकनिक संस्थाओं में छात्रों के सेवायोजन का प्रतिशत 25 प्रतिशत से कम है उनमें नई राजकीय पालीटेकनिक संस्थाएँ स्थापित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रदेश के जिन जनपदों में राजकीय पालीटेकनिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के सेवायोजन का प्रतिशत 25 प्रतिशत से अधिक है उन जनपदों में यदि कोई राजकीय पालीटेकनिक संस्था निर्माणाधीन/स्थापनाधीन नहीं है तो ऐसी स्थिति में पूर्व स्थापित/संचालित राजकीय पालीटेकनिक संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।
3. प्रदेश के जिन जनपदों में स्थापित निजी क्षेत्र की पालीटेकनिक संस्थाओं में रिक्त सीटों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से अधिक है, ऐसे जनपदों में निजी क्षेत्र में नवीन पालीटेकनिक संस्थान खोलने की अनुज्ञा देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रदेश के जिन जनपदों में स्थापित निजी क्षेत्र की पालीटेकनिक संस्थाओं में रिक्त सीटों का प्रतिशत 10 से कम है अथवा जिन जनपदों में निजी क्षेत्र में एक भी पालीटेकनिक संस्था स्थापित/संचालित नहीं है, ऐसे जनपदों में अधिकतम दो पालीटेकनिक संस्थाएँ निजी क्षेत्र में स्थापित करने की अनुज्ञा गुणावगुण के आधार प्रदान की जा सकेगी।
5. प्रदेश में नवीन राजकीय पालीटेकनिक की स्थापना करने के स्थान पर पूर्व संचालित संस्थाओं की प्रवेश क्षमता में वृद्धि तथा उनमें में साज-सज्जा, उपकरण, छात्र सुविधाएं तथा शिक्षकों की उपलब्धता ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार पूर्ण करते हुये छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किये जाने पर बल दिया जायेगा।
6. निजी क्षेत्र में डिग्री स्तरीय नई प्राविधिक संस्था की स्थापना हेतु अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि वर्तमान में डिग्री स्तरीय प्राविधिक संस्थाओं में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 62 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं, तथा
7. भारत सरकार के निर्देशों एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में किसी भी जनपद में डिग्री/ डिप्लोमा स्तरीय नये प्राविधिक संस्थानों/पाठ्यक्रमों की स्थापना की जा सकेगी।